म. प्र. राज्य कृषि विपणन बोर्ड
26, किसान भवन, अरेरा हिल्स, भोपाल

क्र./ बी–6/नियमन/निराश्रित शुल्क/500/1341 भोपाल,दिनांक 14/02/2019

प्रति,

सचिव
कृषि उपज मण्डी समिति
..............................म0प्र. (समस्त)

विषयः–मण्डी फीस के साथ निराश्रित शुल्क लिये जाने के संबंध मे

संदर्भः–कार्यालयीन पत्र क्रमांक/बी–6/निय./निराश्रित सहा.राशि/509/517 दिनांक 6.10.2018

विषय संदर्भ मे लेख है कि विनिर्दिष्ट कृषि उपज पर निराश्रित सहायता राशि के उद्ग्रहण एवं संग्रहण के संबंध मे म0प्र0 शासन समाज कल्याण विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ 4–41–99–छब्बीस–2 दिनांक 27 जनवरी 2000 यथावत प्रभावशील है। जिसके अध्यधीन नीचे दी गई अनुसूची के कॉलम (1) मे विनिर्दिष्ट कृषि उपज ऐसी कृषि उपज के क्रेताओ से, उक्त अनुसूची के कॉलम (2) मे विनिर्दिष्ट दर पर नकद संग्रहित की जायेगी अर्थात् :–

अनुसूची

विनिर्दिष्ट कृषि उपज (1)	दर (2)
तिलहन, दलहन, अनाज, कपास एवं सोयाबीन	0.2 प्रतिशत अर्थात् प्रत्येक सौ रूपये या उसके भाग पर 20 पैसे

उपरोक्त अधिसूचना से यह स्पष्ट है कि विनिर्दिष्ट कृषि उपजो के क्रेताओ से विनिर्दिष्ट दर पर निराश्रित सहायता राशि संग्रहित की जायेगी।

म0प्र0 निराश्रित एवं निर्धन व्यक्तियों की सहायता अधिनियम के प्रावधानो के अनुसार अधिसूचित कृषि उपज के क्रय–विक्रय अथवा प्रसंस्करण के समय मण्डी फीस के उद्ग्रहण के साथ ही विनिर्दिष्ट कृषि उपजो के क्रय–विक्रय अथवा (क्रय उपरांत) प्रसंस्करण की स्थिति मे मण्डी अधिनियम की धारा 19 की उपधारा (1) से (4) के उपबंधो के अनुसार मण्डी फीस के साथ ही निर्धारित दर से निराश्रित सहायता राशि का भी संग्रहण किया जाना प्रावधानित है।

अतः किसान कल्याण तथा कृषि विकास विभाग की अधिसूचना क्रमांक डी–15–63–18–चौदह–3 दिनांक 6 अक्टूबर 2018 के अनुसार मण्डी फीस की दर से परिवर्तन किये जाने के उपरांत भी मण्डी फीस के साथ ही निराश्रित सहायता राशि का उद्ग्रहण एवं संग्रहण 0.2 प्रतिशत की दर से संग्रहण किये जाने की कार्यवाही किया जाना सुनिश्चित करे।

अपर संचालक
म0प्र0 राज्य कृषि विपणन बोर्ड
भोपाल

letter

क./ बी–6/नियमन/निराश्रित शुल्क/500/1342,   भोपाल,दिनांक 15/02/2019

प्रतिलिपि :–

संयुक्त/उप संचालक म0प्र0 राज्य कृषि विपणन बोर्ड, आंचलिक कार्यालय (समस्त)। आपके क्षेत्रान्तर्गत मण्डियो मे तत्परता से मण्डी फीस के साथ ही निर्धारित दर से निराश्रित सहायता राशि का भी संग्रहण किये जाने की कार्यवाही किया जाना सुनिश्चित करे।

अपर संचालक
म0प्र0 राज्य कृषि विपणन बोर्ड
भोपाल